

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

(48)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ जिला -अलवर


मुकदमा शिवशंकर बनाम श्रीमती बार्ह सन् 21/12/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

04.07.2019

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जर्जे एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 01.08.2019 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 784 रकबा 0.20, 822 रकबा 0.30, 964 रकबा 0.20, 969 रकबा 0.24, 963 रकबा 0.11 हैक्टो वाके ग्राम सहजपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रार्थी के हिस्से तक रहन, बैय नही करे, कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे, राजस्व एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थीगण दिनांक 01.08.2019 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 01.08.2019 को पेश हो।

  
उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)

21/12/19

काज पत्रावली पेश हुई।  
तामील पत्रावली 30/12/19 को 21/12/19  
एवं तलबी की कवाली दि. 6 को नही  
तामील पत्रावली 31/12/19 को पेश की  
पत्रावली तलबी पत्रावली 31/12/19 को पेश की

# फर्द अहकाम

य. .... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... गोविन्दगढ़ (अलवर) .....  
 शिवश्याम ..... बनाव ..... भगवती वरि

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
	<p>26.9.23 ..... वकील ..... हाथी ..... अनुपस्थित            साबिक आदेश दिनांक ..... 21.8.23 .....            की पालना में पत्रावली वास्ते ..... तबकी शर्षी राजे से अंतिमो पत्र            दिनांक ..... 11.11.23 ..... को पेश हो।            उपखण्ड अधिकारी            गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>	
	<p>09.11.23 ..... वकील ..... हाथी ..... अनुपस्थित            साबिक आदेश दिनांक ..... 01.8.23 .....            की पालना में पत्रावली वास्ते ..... तबकी शर्षी राजे से अंतिमो पत्र            दिनांक ..... 21.12.23 ..... को पेश हो।            उपखण्ड अधिकारी            गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>	
	<p>21.12.23 ..... वकील ..... हाथी ..... अनुपस्थित            साबिक आदेश दिनांक ..... 01.9.23 .....            की पालना में पत्रावली वास्ते ..... तबकी शर्षी राजे से अंतिमो पत्र            दिनांक ..... 25.11.23 ..... को पेश हो।            उपखण्ड अधिकारी            गोविन्दगढ़ (अलवर)</p>	
<p>05-1-24</p>	<p>पत्रावली मूल पत्र के साथ पेश हुई। वकील हाथी अनुपस्थित।            वकील व उनके हाथी को न्यायालय द्वारा धार-वार भवाज            दिलायी गई। साथ 5:00 बजे तक इंतजार किया गया। तथा            पुनः आवाज लगवायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके            हाथी अनुपस्थित। अतः हाथी पत्र-212 R+M वकील व            उनके हाथी की अदम हाजिरी - अदम फेरकी में खारिज            किया जाता है। पत्रावली केवल मूल पत्र के अन्तर्गत            भूम हो। बाह्य शामिल तबकील मूल पत्र के साथ            संलग्न है।            उपखण्ड अधिकारी            गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०</p>	